

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 5115 अतारांकित के प्रश्नांश (क) की जानकारी

00000

कृषि उपज मण्डी समिति वारासिवनी में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं 2015-16 में कृषकों के भोजनालय (केन्टीन) के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिसमें निम्न ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी।

क्र.	वर्ष	निविदा आमंत्रण दिनांक	ठेकेदार का नाम
1.	वर्ष 2013-14	22.09.2012	1 - मो.यूनूस खान 2- श्री तोपसिंह कटर 3.-श्री सुरेन्द्र गौतम 4.- श्री मुकेश पाठक 5. - श्री आकाश चौबे 6. - श्री शुभम निरडवार 7. -श्री यशवंत कुंदने 8.- श्री रविकांत सुरी 9.- श्री विजय पंचेश्वर 10.- श्री इन्द्रपाल सिंह 11.- श्री राजेन्द्र आडे 12 -श्री जितेन्द्र वर्मा
2	वर्ष 2013-14 (एक वर्ष के लिये)	28.01.2013 द्वितीय निविदा आमंत्रण।	1. - श्री सुदेश धार्मिक 2. - श्री अभिषेक ऐडे 3. - श्री विवेक ऐडे
3.	2014-15 एवं 2015-16	15.01.2014	1. -श्री विजय रामचंद्र पंचेश्वर 2. -श्री मनोज गोपी आंचरे 3. -श्री विजय बलदेव दुबे 4.-श्री राजकुमार रामचन्द्र राउत 5.- श्री नितिन मुकेश जैन 6.-श्री पीतम बलराम रोकडे 7.-श्री अजय चन्द्रप्रकाश बांगरे

1. मण्डी समिति के पत्र क्रमांक 769 दिनांक 22.09.2012 से एक वर्ष के लिये भोजनालय (केन्टीन) ठेके पर देने के लिये निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें श्री राजेन्द्र आडे की निविदा न्यूनतम पाई जाने पर निविदाकार से अनुबंध निष्पादित करने के लिये पत्र लिखा गया। निविदाकार द्वारा अनुबंध न कराने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद उक्त निविदा निरस्त की गई।

पुनः मण्डी समिति वारासिवनी के पत्र क्रमांक 1411 दिनांक 28.01.2013 से एक वर्ष के लिये भोजनालय (केन्टीन) ठेके पर देने के लिये निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें श्री सुदेश धार्मिक की निविदा न्यूनतम पाई जाने पर श्री सुदेश धार्मिक को दिनांक 01.03.2013 से एक वर्ष की अवधि के लिये कार्यादेश जारी किया गया था।

2. मण्डी समिति वारासिवनी के पत्र क्रमांक 1763 दिनांक 10.01.2014 से तीन वर्ष के लिये भोजनालय (केन्टीन) ठेके पर देने के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसमें श्री अजय चन्द्रप्रकाश बांगरे की निविदा न्यूनतम पाई जाने पर स्वीकृत की गई थी किन्तु निविदाकार द्वारा असहमति व्यक्त करने पर द्वितीय निविदाकार श्री पीतम बलीराम रोकडे को दिनांक 22.02.2014 से तीन वर्ष (2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) की अवधि के लिये कार्यादेश जारी किया गया था।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।

अबुभाऊ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल